नम्बर अहका हुक्म के में जा ...ीख ...ुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/1/20	पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक अनुपस्थित। सांय 4.30 का समय हो चुका है। वादी पक्षकार की ओर से वादी अथवा उनके अभिभाषक अब भी अनुपस्थित है। वादी और उनके अभिभाषक को पूर्व में एक – एक घण्टे के अन्तराल पर प्रातः 12.00 बजे और दोपहर 2.20 बजे पर दो बार आवाज लगवाये जाने के बावजूद अभी तक कोई उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी की ओर से इस पर आपत्ति व्यक्त की गई, फलस्वरूप वादी पक्षकारान को पुनः आवाज लगवाई गई, फिर भी सांय 5.00 बजे तक कोई उपस्थित नहीं हुआ, तथापि न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु वादी पक्षकार को न्यायालय में उपस्थित होने का एक अवसर दिया जाना उचित समझते है। अतः वादी पक्षकार अथवा उनके प्रतिनिधि अभिभाषक को इस प्रकरण में पेश होकर वादपत्र की अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित होने का एक अवसर दिया जाता है। वादी अथवा उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर आवश्यक रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली आगामी पेशी ------9/1/20-------- को पेश हो।	
9/1/20	पत्रावली पेश हुई। वादी अथवा उनके अभिभाषक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रातः 11.20 बजे वादी पक्षकार को आवाजे दिलवाई गई, फिर भी वादी पक्षकार अथवा उनके अभिभाषक में से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद पुनः वादी पक्षकार को आवाज दिलवाई गई। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी की ओर से निवेदन किया गया वादी अपने वादपत्र के अनुसार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है फिर भी वाद पत्र पेश कर दिया है, वादी पक्षकार को इस तथ्य का अनुभव हो चुका है कि उनके द्वारा इस न्यायालय में पेश वाद लिपिक तथ्यों पर आधारित नहीं है जो भविष्य में खारिज योग्य है, इसी कारण वादी और उनके अभिभाषक लगातार न्यायालय की नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहे है अतः दावा वादी खारिज किया जावे। हमने प्रकरण का अवलोकन किया और न्यायालय की नियत पेशी पर उपस्थिति हेतु वादी पक्षकार को सांय 4.00 बजे पुनः आवाज दिलवाई गई। वादी अथवा उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इस पर प्रतिवादी के आक्षेप के बावजूद, वाद पेश करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा वादपत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने हेतु न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये वादी पक्षकार अथवा उनके प्रतिनिधि स्वरूप उनके अभिभाषक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पुनः एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। अतः पत्रावली आगामी पेशी ......12/2/20...... को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/2/20	पत्रावली पेश हुई। वादी अथवा अभिभाषक अनुपस्थित। पत्रावली में गत पेशी को उल्लेखितानुसार आज भी वादी पक्षकार और उनके अभिभाषक को रूक रूक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई। वादी और उनके अभिभाषक में से कोई भी उपस्थित नहीं हुये जिस पर प्रतिवादी की ओर से पुनः आपत्ति दर्ज कराई गई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विगत पेशीयों में लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय की पेशी पर वादी अथवा उनके अभिभाषक के लगातार अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप वाद वादी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner